कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, रामपुर।

आदेश 184 दिनांकः जूलाई 21, 2021

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक-1983/LXXXVII-CPC/e Courts/ Allahabad/Dated July 20, 2021 के माध्यम से समस्त न्यायालयों के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये है, जो दिनांक 22-07-2021 से अग्रिम आदेश तक प्रभावी किये गये है।

माननीय उच्च न्यायाल, इलाहाबाद के निर्देशानुसार समस्त न्यायालय मौजूदा प्राविधानों, नियमों, दिशा-निर्देश एवं परिपत्रों के अनुसार समस्त न्यायिक कार्य एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादित करेंगे।

समस्त पीठासीन अधिकारीगण न्यायालय कक्ष में पक्षकारों/अधिवक्तागण की एक समय में सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ कम से कम उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे तथा न्यायालय के रीडर एवं लिपिक आदि सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण कार्य के समाप्ति के उपरान्त न्यायालय परिसर छोड़ना सुनिश्चित करेंगे।

न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष में प्रत्येक को मास्क पहनना अनिवार्य है। केन्द्रीय नाजिर प्रत्येक न्यायालय कक्ष के प्रवेश द्वार सेनिटाइजर की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला अधिकारी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के सहयोग से प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग किये जाने के पश्चात् ही न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।

सिस्टम अस्सिटेंट समस्त न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरण/प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धित संकलित आख्या प्रतिदिन e- Services module पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश दिनांकित 22-04-2021 के अनुसार समस्त न्यायालय प्रत्येक शनिवार व रविवार को पूर्ववत् बन्द रहेंगे।

सिस्टम अस्सिटेंट इस आदेश को जनपद न्यायालय, रामपुर के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रामपुर को आदेशित किया जाता है कि वह न्यायालय संचालन की उपरोक्त व्यवस्था को स्थानीय अधिकृत मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

Srivastava

जनपद न्यायाधीश,
रामपुर।
21-07-2021